राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(146)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 29 NOV 2011

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.09.2011 द्वारा जन सुरक्षा एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45, 282 व 337 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 104–ए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 90 व जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 85 सपठित राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 व राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले गैस गोदामो को स्थानान्तरित करने/भूमि आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त जारी निर्देशों के क्रम में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरपालिका/प्राधिकरणों/न्यासों के क्षेत्र में स्थापित गैस गोदामों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यदि एक माह के भीतर ऐसे गोदामों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही नहीं की गयी तो संबंधित के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(एन.एल.मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर .... (राजस्थान)
11. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
13. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)।
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को सभी स्थानीय निकायों को प्रेषित करने हेतु।
16. सचिव, नगर सुधार न्यास........................(समस्त)
17. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

28/11/2011

उप शासन सचिव–तृतीय